मालीदेवी बनाम सुवालाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम हुक्म से
	मु०न० – 145/2017	
21·3·18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित/ पीठा /अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10·4·18 को पेश हो। Vimal	
10-4-18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित/ पीठा /अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24-4-18 को पेश हो। [signature]	
24-4-18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित/ पीठा /अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13-6-18 को पेश हो।	
29.06.2018	~~वकील वादीगण के~~ निवेदन पर पत्रावली इकजाई पेशी ~~3.10.2018~~ से पूर्व तलब होकर आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के फॉलो अप कैम्प– श्रीमाधोपुर में पेश हुई। प्रकरण में वकील वादीगण ने उपस्थित होकर प्रकरण का लोक अदालत की भावना से निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 ता 4 के मध्य आपस में राजीनामा हो चूका है तथा प्रतिवादी नम्बर 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही पूर्व में अमल में लाई जा चूकी है। वादीगण साक्ष्य में वादी न. 6 धुकलराम व साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी न. 1 सुवालाल ने लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये थें। प्रकरण दिनांक 30.11.2017 से बहस में विचाराधीन है। प्रकरण के बहस में विचाराधीन होने से एंव वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया जाना उचित समझता हूँ। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 1689 रकबा 0.67 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम ढ़ाणी डेरावाली तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। [initials]	

Scanned by CamScanner

भाली देवी बनाम सुवालाल

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज मु०न० - 145/2017	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

जिसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज है जो गलत है। उक्त कृषि भूमि पर वादीगण अर्सा करीब 60 साल पूर्व से अपनी अन्य भूमि खसरा नम्बर 1781 के साथ शामिल कर काश्त करते चले आ रहे है तथा 1781 में बने चाह कुआ से उक्त भूमियों की सिचांई करते चले आ रहे है।उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध या सरोकार किसी किस्म का नहीं है एंव ना ही कभी रहा है। उक्त भूमि पर अकेले वादीगण ही अर्सा 60 साल से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा चारो तरफ कदीमी डोल लगाकर फसल काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार से होकर भाईबन्ध है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1689 में 1/3 हिस्सा पर वादीगण संख्या 1 ता 5 एंव 1/3 हिस्सा पर वादी संख्या 6 एंव 1/3 हिस्सा पर वादी संख्या 7 काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए उक्तानुसार भूमि की खातेदारी वादीगण अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को विवादित भूमि की खातेदारी अपने नाम करवाने हेतु कहा तो पहले तो वादीगण को हॉ करते रहे परन्तु अब प्रतिवादी न. 1 ता 4 ने दिनांक 09.09.2017 को वादीगण के नाम भूमि की खातेदारी दर्ज कराने से स्पष्ट इन्कार होने पर दावा पेश करने लाजिम आया है। वादीगण ने प्रतिवादी न. 1 ता 4 के नाम दर्ज खातेदारी भूमि का वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु निवेदन वादपत्र में किया है।

हमने वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 ता 4 के मध्य आपस में राजीनामा हो चूका है तथा प्रतिवादी नं. 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही पूर्व में अमल में लाई जा चूकी है। प्रकरण में वकील वादीगण ने वादीगण व प्रतिवादीगण के भाई बन्ध होने बाबत अंकेत किया है लेकिन

Gm -

माली देवी बनाम सुवालाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम हुक्म में हुक्म
	मु.नं.- 145/2017	

पत्रावली में ऐसा कोई सजरा पेश नहीं किया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि पक्षकारान् आपस में भाईबन्ध हों।वादीगण ने प्रतिवादीगण के नाम उक्त भूमियों की खातेदारी गलत रूप से दर्ज किया जाना अंकित किया है लेकिन इस सम्बन्ध में ऐसा कोई पुराना रिकार्ड इत्यादि पेश नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उक्त भूमियॉं किस प्रकार प्रतिवादीगण के नाम गलत रूप से दर्ज रिकार्ड हुई है। प्रकरण में पक्षकारान् ने आपस में राजीनामा भी पेश कर तस्दीक कराया है। राजीनामा पक्षकारान् के द्वारा पेश किया गया राजीनामा दुरभि सन्धी से पेश किया जाना प्रतित होता है। वादपत्र में अंकित तथ्यों को वादीगण सिद्ध नहीं कर पाये है। जिससे वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती हो। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र केवल मात्र स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की नियत से पेश किया जाना प्रतित होता है।

अतः ऐसी स्थिति में राजस्व लोक अदालत में लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए वादीगण द्वारा पेश वादपत्र को मैं वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर से राशि राज्यकोष में जमा कराने की शर्त पर डिक्री किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः वादीगण द्वारा पेश वादपत्र न्याय आपके द्वार अभियान–2018 में आयोजित राजस्व लोक अदालत के फॉलोअप कैम्प–श्रीमाधोपुर में स्वीकार किया जाकर इस शर्त पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 1689 रकबा 0.67 हैक्टर अवस्थित वन् ग्राम ढ़ाणी डेरावाली तहसील श्रीमाधोपुर का वादीगण न. 1 ता 5 को 1/3 हिस्सा का, वादी संख्या 6 को 1/3 हिस्सा का, वादी संख्या 7 को 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरा नम्बर से प्रतिवादीगण न. 1 ता 4 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है। उक्त घोषित रकबा 0.67 हैक्टर की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दरों पर स्टाम्प ड्यूटी जमा होने

Gm

Scanned by CamScanner

मालीदेवी बनाम सुवालाल

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
मु०नं० - 145/2017	
पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही की जावे। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (ब्रह्म लाल जाट) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Scanned by CamScanner